UPFT010016772026

न्यायालय A D J court No 4/MP, MLA Court, Fatehpur

पीठासीन अधिकारी– (SMT. CHETANA CHAUHAN), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा)**

(JO Code –UP 3843)

क्रिमिनल रिवीजन संख्या– 63/2026

1. अयोध्याशरण सिंह पुत्र सुरेद्र बहादुर सिंह,

निवासी- ग्राम गोधरौली, थाना औंग, जनपद फतेहपुर।

.....रिवीजनकर्ता

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा डी०जी०सी क्रिमिनल, फतेहपुर।

.....रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी

निर्णय

1- रिवीजनकर्ता अयोध्याशरण सिंह द्वारा यह फौजदारी रिवीजन रेस्पोन्डेन्ट सरकार उ०प्र० द्वारा डी०जी०सी के विरूद्ध दायर की गयी है।

2- प्रस्तुत क्रिमिनल रिवीजन सं.- 63/2026, अयोध्याशरण सिंह बनाम सरकार उ०प्र०, अपराध संख्या 115/2025, अंतर्गत धारा 281, 125A, 125B, 324(4) BNS में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07.04.2026 जो कि न्यायालय , अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम० कोर्ट नं०-03, फतेहपुर द्वारा पारित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर वादी की ओर से प्रस्तुत क्रिमिनल रिवीजन संस्थित की गयी।

3- संक्षेप में रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिवीजन के आधार एवं तर्क इस प्रकार है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांकित 07.04.2026 विधि विरूद्ध है एवं खारिज किये जाने योग्य है। यह कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांकित 07.04.2026 सरसरी में पारित किया गया है एवं आदेश पारित करते समय न्यायिक विवेक

का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिस कारण आदेश दिनांकित 07.04.2026 खारिज किये जाने योग्य है। रिवीजनकर्ता का ट्रैक्टर सं०– यू०पी० 71 बी०सी० 3215 दिनांक 14.10.2025 से थाना औंग में खड़ा है। रिवीजनकर्ता का ट्रैक्टर थाना हाजा में खड़े होने से नष्ट हो रहा है तथा उसके पूर्ण रूपेण नष्ट होने की सम्भावना है। रिवीजनकर्ता का ट्रैक्टर सं०– यू०पी० 71 बी०सी० 3215 के समस्त कागजात रजिस्ट्रेशन, बीमा व चालक के समस्त कागजात वैध एवं प्रभावी हैं। विवेचक द्वारा रिवीजनकर्ता के उपरोक्त ट्रैक्टर को जानबूझकर नष्ट करने की संभावना से गलत चालक का नामा प्रकाश में लाया जा रहा है। विवेचक द्वारा धर्मेन्द्र पुत्र नारद का नाम प्रकाश में लाया जा रहा है, जो घटना के कई माह पूर्व से ग्राम गोधरौली, थाना औंग में नहीं रह रहा है। रिवीजनकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष गाड़ी छोड़े जाने हेतु दिनांक 23.10.2025 को प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 30.10.2025 को रिवीजनकर्ता ने स्वतः अपना शपथपत्र दिया कि उसका ड्राइवर घटना के समय धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा ही ट्रैक्टर चला रहा था। चालक धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा उपरोक्त द्वारा भी दिनांक 31.10.2025 को शपथपत्र दिया कि शपथकर्ता ही ट्रैक्टर सं०– यू०पी० 71 बी०सी० 3215 का चालक है और घटना के समय उपरोक्त ट्रैक्टर चला रहा था। माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार वाहन को थाने में अत्यधिक समय तक खड़ा नहीं रखा जा सकता है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा रिवीजनकर्ता का उपरोक्त ट्रैक्टर न छोड़कर कानूनी त्रुटि की है। रिवीजनकर्ता का रिवीजन स्वीकार कर रिवीजनकर्ता का ट्रैक्टर सं० – यू०पी० 71 बी०सी० 3215 अविलंब छोड़ा जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रार्थना की गयी है कि रिवीजनकर्ता का रिवीजन स्वीकार कर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.04.2026 निरस्त कर ट्रैक्टर सं०– यू०पी० 71 बी०सी० 3215 जो रिवीजनकर्ता के नाम पंजीकृत है को छोड़े जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

4– रिवीजनकर्ता की ओर से इस फौजदारी रिवीजन के साथ मुकदमा अपराध संख्या– 115/2025, थाना औंग, जिला फतेहपुर में न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम० कोर्ट नं०–03 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.04.2026 की सत्य प्रतिलिपि प्रपत्र दाखिल किया गया है।

5– विद्वान ए०डी०जी०सी० द्वारा उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए मौखिक आपत्ती इस आशय की दर्ज की है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.04.2026 विधिक रूप से सही है, अतः रिवीजन निरस्त होने योग्य है।

6- संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार हैं कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 115/2025, अंतर्गत धारा 281, 125A, 125B, 324(4) BNS बनाम अज्ञात वाहन चालक दिनांक 14.10.2025 को थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना में बयान वादी, बयान मजरूब, घटना के समय ट्रैक्टर पर मौजूद मजदूरों का बयान, अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य व अन्य संकलित साक्ष्य से वाहन चालक धर्मेन्द्र पुत्र नारद, निवासी गौधरौली, थाना औंग, जनपद फतेहपुर का नाम प्रकाश में आया है। वाहन चालक धर्मेन्द्र घटना के दिन से ही घर छोड़कर भाग गया है।

7– रिवीजनकर्ता की ओर से प्रस्तुत रिवीजन तथा तामीला पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता रिवीजनकर्ता एवं विद्वान ए०डी०जी०सी० को सुना गया।

8– प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.04.2026 द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वाहन संख्या UP71 BC 3215 की रिलीज प्रार्थना पत्र में यह तर्क दिया है कि चालक का नाम धर्मेन्द्र पुत्र नारद रैदास प्रकाश में आया है, जो गाड़ी चला रहा था, जिस कारण अभियुक्त ट्रैक्टर चालक का बयान अंकित नहीं हो सका है, जिस कारण विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पोषणिकता के आधार पर रिलीज प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया गया।

9– उक्त रिवीजन में थाने से आख्या आहूत की गयी जो कि एस०एस०आई० अनुज यादव द्वारा दिनांक 02.06.2026 को प्रस्तुत की गयी तथा कथन किया गया कि उपरोक्त मुकदमा में अभियुक्त धर्मेन्द्र रैदास पुत्र नारद रैदास का बयान अंकित किया जा चुका है तथा दिनांक 28.05.2026 को आरोप पत्र किता किया जा चुका है व विवेचना को समाप्त किया जा चुका है।

10– पत्रावली से स्पष्ट है कि उक्त वाहन थाना परिसर में काफी समय से खड़ा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **SUNDERBHAI AMBALAL DESAI vs STATE OF GUJRAT**

2003(46) ACC 223 (SC) में प्रतिपादित विधि के अनुसार जब्त वाहन को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक थाना परिसर में रखना उचित नहीं है, क्योंकि उससे वाहन के मूल्य एवं उपयोगिता में ह्रास होता है। अतः प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.04.2026 विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है तथा हस्तक्षेप योग्य है। अतः रिवीजन स्वीकार की जाती है तथा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07.04.206 को अपास्त किया जाता है।

<u>आदेश</u>

रिवीजनकर्ता द्वारा योजित प्रस्तुत क्रिमिनल रिवीजन संख्या– 63/2026, अयोध्याशरण सिंह बनाम सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा डी०जी०सी क्रिमिनल को स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वाहन संख्या यू०पी० 71 बी०सी० 3215 को स्वामित्व संबंधी अभिलेखों के सत्यापन उपरान्त उपयुक्त प्रतिभूति एवं शर्तों पर रिवीजनकर्ता के पक्ष में सुपुर्दगी में किये जाने के संबंध में विधि अनुसार आदेश पारित करें।

इस आदेश की एक प्रति तत्काल विद्वान अवर न्यायालय को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली नियमानुसार अविलम्ब वापस प्रेषित की जाये। क्रिमिनल रिवीजन पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार अवर न्यायालय में दिनांक 29.06.2026 को उपस्थित हों।

(चेतना चौहान)
<u>दिनांक–20.06.2026</u> **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
कोर्ट संख्या–04/MP, MLA कोर्ट, फतेहपुर।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(चेतना चौहान)
<u>दिनांक–20.06.2026</u> **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
कोर्ट संख्या–04/MP, MLA कोर्ट, फतेहपुर।

Digitally signed by CHETANA CHAUHAN
Date: 2026.06.20 12:06:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court